

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दर्ता/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 फरवरी 2013—माघ 29, शक 1934

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 38 के उप-नियम (1) में, अंक “135” के स्थान पर, अंक “180” प्रतिस्थापित किया जाये।

Raipur, the 18th February 2013

NOTIFICATION

No. 40/F-1003117/Finance/Rules/IV/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In sub-rule (1) of rules 38, for the figure “135” the figure “180” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव.